मुस्तैदी से करें जनगणना दायित्व का निर्वहन : कलेक्टर

बाल भवन में 82 फील्ड ट्रेनर्स का तीन दिवसीय प्रशिक्षण शुरू

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 01 अप्रैल। हम सबके लिये गर्व की बात है कि हमें विश्व के सबसे बड़े प्रशासनिक कार्य जनगणना करने का सुअवसर मिला है। जनगणना का कार्य पूरी तरह संवैधानिक है। इसलिये पूरी गंभीरता व मुस्तैदी के साथ इस संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करें। यह बात कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी रुचिका चौहान ने बाल भवन में बुधवार से शुरू हुए तीन दिवसीय फील्ड ट्रेनर्स प्रशिक्षण सत्र के उदघाटन अवसर पर प्रशिक्षण ले रहे अधिकारियों से कही।

इस प्रशिक्षण में 82 अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। प्रशिक्षण के बाद इन अधिकारियों द्वारा जनगणना कार्य के लिये संलग्न किए गए प्रगणकों व सुपरवाइजर्स को प्रशिक्षित किया जायेगा। फील्ड ट्रेनर्स प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र के दौरान नगर निगम आयुक्त एवं ग्वालियर शहर के प्रमुख जनगणना अधिकारी संघ प्रिय, जिला जनगणना अधिकारी अनिल बनवारिया व अपर आयुक्त नगर निगम मुनीष सिकरवार, जनगणना कार्यालय भोपाल से आए राकेश मीणा एवं मुख्य प्रशिक्षक एस बी ओझा उपस्थित थे।

कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी चौहान एवं नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने फील्ड ट्रेनर्स से कहा कि प्रगणकों व सुपरवाइजर की हर शंका का समाधान करें, जिससे वे आम जनता की भ्रांतियों को दूर कर सकें। खासतौर पर आम जनता को यह समझाने की जरूरत है कि जनगणना के दौरान आपके द्वारा दी गई जानकारी पूर्णत: गोपनीय रहेगी। साथ ही ऐसा स्पष्ट प्रावधान है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी का उपयोग साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं होगा। इसलिये जनगणना के लिये आने वाले प्रगणकों को बेझिझक सही-सही जानकारी दें। जनगणना के आंकड़े कल्याणकारी योजनाओं, संसाधनों के वितरण तथा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन कार्य के लिये आधार बनते हैं।

जनगणना पूरी तरह संवैधानिक, जानकारी देना अनिवार्य : जनगणना का कार्य पूरी तरह संवैधानिक है। भारतीय संविधान में 32 बार जनगणना का उल्लेख आया है। सभी को जनगणना से संबंधित जानकारी देना अनिवार्य है। संविधान के अनुच्छेद-246, जनगणना अधिनियम 1948 व जनगणना नियम 1990 के तहत जनगणना का कार्य किया जा रहा है।

प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना : कलेक्टर रुचिका चौहान ने बताया कि भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत ग्वालियर जिले में भी दो चरणों में जनगणना होगी। प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना (एचएलओ) कार्य मध्यप्रदेश में 01 मई से 30 मई 2026 तक किया जायेगा। इस चरण का उद्देश्य द्वितीय चरण अर्थात जनसंख्या गणना के लिये मास्टर फ्रेम तैयार करना है। जनगणना के द्वितीय चरण का काम फरवरी 2027 में होगा।

जिले में लगभग 6 हजार अधिकारी-कर्मचारी करेंगे जनगणना : ग्वालियर जिले में कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी रुचिका चौहान के नेतृत्व में लगभग 6 हजार अधिकारी-कर्मचारी जनगणना-2027 के कार्य को अंजाम देंगे। इनमें लगभग 5 हजार प्रगणक व 829 पर्यवेक्षक, 41 चार्ज अधिकारी, 42 फील्ड ट्रेनर्स, 4 मास्टर ट्रेनर्स व 9 जिला स्तरीय अधिकारी शामिल हैं। शहरी क्षेत्र में नगर निगम आयुक्त प्रमुख जनगणना अधिकारी का दायित्व निभायेंगे। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत के सीईओ यह जिम्मेदारी निभायेंगे। प्रथम चरण में प्रगणक घर-घर जाकर मकान सूचीकरण व मकानों की गणना और स्वत: ही मोबाइल एप पर 34 बिंदुओं में भरी गई जानकारी की जांच कर सत्यापन भी करेंगे। ज्ञात हो जनगणना - 2027 के लिये ग्वालियर जिले में जिन्हें प्रशासनिक इकाई माना गया है, उनमें 10 तहसील, 10 नगर व 589 गाँव शामिल हैं। मास्टर ट्रेनर एस बी ओझा ने प्रशिक्षण के दौरान जानकारी दी कि प्रगणक घर-घर जाकर 'ष्टद्गठ्ठह्यह्वह्य 2027- ॥स्ह्र' मोबाइल एप का उपयोग कर डिजिटल डाटा संग्रह करेंगे। साथ ही लोगों द्वारा पोर्टल पर स्व-गणना के तहत भरी गई जानकारी का सत्यापन भी करेंगे। दोनों तरह से प्राप्त डाटा की बहुस्तरीय जाँच होगी। पहले यह कार्य पर्यवेक्षकों द्वारा किया जायेगा।

पहली बार हो रही है डिजिटल जनगणना, स्वगणना का अवसर भी

देश में पहली बार डिजिटल रूप से जनगणना होने जा रही है। साथ ही देश में पहली बार स्व-गणना का अवसर भी लोगों को दिया गया है। जिसके तहत कोई भी व्यक्ति एसई वेब पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में जनगणना संबंधी 34 बिंदुओं में अपनी जानकारी स्वयं भर सकेंगे। प्रथम चरण में प्रगणक घर-घर जाकर मकान सूचीकरण व मकानों की गणना का कार्य करेंगे। साथ ही लोगों द्वारा स्वत: ही मोबाइल एप पर 34 बिंदुओं में भरी गई जानकारी की जांच कर सत्यापन भी करेंगे।

ई-टोकन व्यवस्था से रबी, खरीफ व जायद फसलों के लिये मिलेगा खाद

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 01 अप्रैल । ग्वालियर जिले में भी ई-विकास प्रणाली अर्थात ई-टोकन से खाद वितरण व्यवस्था लागू हो चुकी है। ई-विकास प्रणाली में किसानों को उपलब्ध होने वाले उर्वरकों की गणना आई.सी.ए.आर. अनुसंशित फसलवार के अनुसार प्रति हेक्टेयर के मान से वितरित किए जाने वाले खाद की गणना पूर्व से ही पोर्टल पर निर्धारित की गई है। जिले के किसान भाईयों से ई-विकास प्रणाली के तहत खाद प्राप्त करने की अपील की गई है। उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास रणवीर सिंह जाटव ने बताया कि ई-टोकन के जरिए पोर्टल के माध्यम से फसल की अवधि अनुसार उर्वरक किसानों को प्राप्त होगा। उदारहण स्वरूप जैसे-सोयाबीन (खरीफ) हेतु 01 अप्रैल से 15 अगस्त तक उर्वरक प्राप्त हो सकेगा।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं पुष्पा पत्नी श्री आकाश कुशवाह, पुत्री- अजब सिंह, निवास- ग्राम व पोस्ट गढपारा, मेहगांव जिला भिण्ड (म.प्र.) सूचित करती हूं कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम कोमल थावरे (KOMAL THAVARE) त्रुटिवश दर्ज हो गया है। जबकि मुझ शपथकर्ता का सही नाम पुष्पा (PUSHPA) है, जो कि मेरे जन्मप्रमाण पत्र, मार्कसीट, में भी दर्ज है। कोमल थावरे (Komal Thavare) एवं पुष्पा (PUSHPA) दोनों नाम मुझ शपथकर्ता के ही हैं। अत: भविष्य में मैं भी पुष्पा (PUSHPA) नाम का ही लेख करूगी एवं जानी जाऊं। सत्यापित एफीडेविट नं. BX 602248 & Date-21.03.2026

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती किशोरी पत्नी श्री रनवीर सिंह ने एक अचल संपत्ति जिसका प्लॉट क्र. 04, वार्ड क्र. 47 (भगत सिंह वार्ड), प्रेम नगर के पास, ग्राम जौरखुर्द एवं तहसील मुरैना नगर व जिला मुरैना (म.प्र.) के सर्वे क्र. 1767/1/1/1 की होकर जिसकी चतुर्सीमा:- पूर्व में- खेत दीगर, पश्चिम में- 20 फुट रोड, उत्तर में- भूमि अन्य, दक्षिण में- प्लाट क्र. 03 विध्या व कुल क्षेत्रफल 840 वर्गफुट है। को क्रय करने का लिखतम विक्रय अनुबंध-पत्र संपत्ति मालिक श्रीमान सौरभ दंडोतिया पुत्र श्री रामचरण दंडोतिया के साथ संपादित किया है। उक्त संपत्ति पूर्व में श्रीमान उम्मेद सिंह, केदार सिंह पुत्रगण बाबूलाल महादेवी पुत्री श्री बाबू लाल, श्रीमती रेवती बाई पत्नी केशव सिंह, श्रीमान बल्लभ चरण, रामसेवक पुत्रगण श्री केशव सिंह, उषा पुत्री केशव सिंह, सुधीर कुमार, सौरभ पुत्रगण श्री गोपी चरण, राजबेटी पत्नी श्री गोपी चरण के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की थी जिसका उल्लेख राजस्व विभाग के दस्तावेजों में विधिवत दर्ज है। तत्पश्चात उक्त संपत्ति के अंश भाग में से केवल श्रीमान सौरभ दंडोतिया पुत्र श्री रामचरण दंडोतिया द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विलेख शीघ्र ही क्रेता के पक्ष में संपादित किया जाने वाला है। अत: उक्त संपत्ति को मेरे पक्षाकार वित्तीय संस्थान ग्वालियर के समक्ष उक्त संपत्ति पर ऋण प्राप्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत होकर बंधक किए जाना प्रस्तावित है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय, बैंक या किसी अन्य उत्तराधिकारी का किसी पूर्ण या अंश भाग पर या किसी भी संस्था की कोई राशि अवशेष हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 07 (सात दिवस) की अवधि में विधिवत अपने दावे के समर्थन में समस्त प्रपत्र सहित मेरे कार्यालय में संपर्क कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा वर्णित अवधि के अवसान उपरांत समस्त आपत्तियां इस सूचना प्रपत्र के समक्ष व्यर्थ, शून्य व प्रभावहीन होगी और उक्त संपत्ति पर प्रदत्त ऋण हेतु बंधककर्ता वित्तीय संस्थान का अधिकार सर्वोपरि होगा। कृपया सूचित हो। इति दिनांक- 01.04.2026

प्रेषक- **विशाल अग्रवाल** (अधिवक्ता)
कार्यालय -"मैसर्स श्री हीरानन्द लीगल कंसल्टेंट" ग्राउंड फ्लोर, यादव मार्केट, जीवाजी यूनिवर्सिटी गेट नंबर 2 के पास, सिटी सेंटर ग्वालियर मो.9826820987

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला ग्वालियर (म.प्र.)

ओहदपुर, सिरोल रोड ग्वालियर
पिन-474006
क्रमांक :एडीएम/वि. अधि./ विवाह पंजी-1954 (39) 2026 ग्वालियर दिनांक 23 मार्च 2020

//विज्ञप्ति //

विषयान्तर्गत इस कार्यालय के समक्ष आवेदकगण श्री पंकज कुमार बंसल पुत्र श्री सतीश चन्द्र बंसल निवासी फौजदारी का मौहल्ला दाना ओली लश्कर ग्वालियर म.प्र. एवं नीतू अग्रवाल पुत्री श्री रामसेवक अग्रवाल निवासी मुल्तान भवन जयेन्द्रगंज ग्वालियर म.प्र. द्वारा विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 15 के अन्तर्गत उनके मध्य हिन्दू रीति रिवाज से स्थान उत्सव वाटिका जीवाजी क्लब के सामने ग्वालियर म.प्र. में दिनांक 18 फरवरी 2002 को सम्पन्न हुये विवाह को रजिस्ट्रीकृत किये जाने हेतु हिन्दू विवाह अधिनियम 1954 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2/ यदि किसी भी व्यक्ति को इस विवाह के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत और आपत्ति हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक से तीस दिवस के अन्दर अपनी आपत्ति या शिकायत अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं विवाह अधिकारी, ग्वालियर, 474006, मध्यप्रदेश के कार्यालय के कक्ष क्रमांक 203 में दर्ज करा सकते हैं। नियत तिथि व्यतीत होने के पश्चात प्राप्त किसी भी प्रकार की शिकायत/आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी। मेरे हस्ताक्षर तथा पदमुद्रा से जारी किया गया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं विवाह अधिकारी जिला ग्वालियर म.प्र.

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 03 वार्ड क्रमांक 07 स्थान जगनापुरा में स्थित है जो कि राम कटोरी/रूप किशोर नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 1000234833 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 600 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एमपी21/जीआर17402026 ए100274835 दिनांक 10/03/2026 से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अर्न्तगत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र ... दिनांक 01/04/2026 को किया गया है. जिसका आवेदन ऑनलाईन संम्पत्ति ट्रांसफर नं. पीटी-56837 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205, 202 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 01-4-2026
कनीजा वेगम/वसीर खान
पता: जगनापुरा, ग्वालियर(म.प्र.)
मोब-8962457149

नाम संशोधन सूचना

मैं **कल्याण सिंह यादव** आर्मी सर्विस नं. 4191956P unit 13 Kumaon निवासी- 188/2, गली नं. 2, हाथीखाना रोड, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.) शपथ करता हूं कि मेरे आर्मी सर्विस रिकॉर्ड में मेरी पुत्री के नाम की स्पेलिंग KM KAMNI YADAV दर्ज है जोकि गलत है, जबकि मेरी पुत्री के आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में नाम की स्पेलिंग **Kamini Yadav** दर्ज है जोकि सत्य व सही है। यह कि, मुझे मेरे आर्मी सर्विस रिकॉर्ड में मेरी पुत्री का सही नाम **Kamini Yadav** दर्ज करवाना है, जिसकी पुष्टि में शपथ पत्र क्र. BX146719 दिनांक 31/03/2026 प्रस्तुत है।

नाम परिवर्तन सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम **KAUSHTUBH SASODE पिता भूपेंन्द्र सासोडे** से परिवर्तित कर के **KAUSTUBH SASODE पिता भूपेंन्द्र सासोडे** रख लिया है। अत: अब भविष्य में मुझे मेरे नए नाम **KAUSTUBH SASODE पिता भूपेंन्द्र सासोडे** से जाना व पहचाना जावे।

KAUSTUBH SASODE
पिता भूपेंन्द्र सासोडे
लक्ष मेडीकल स्टोर, नाका चन्द्रवदनी, लश्कर गिर्द, जिला ग्वालियर म.प्र.

CHANGE OF NAME

I, PRIYA SINGH wife of No. 15793794Y Rank- HAV (OPR) Name- GOBIND KUMAR SINGH, Unit of 109 LT AD REGT (SP) R/o- Vill- Babhanpura, Kamauli, Domanpur, Post- Chiraigaon, Dist- Varanasi (U.P.) -221112 have changed my name from **PRIYA SINGH** to **PRIYA RAI** & my daughter name **ADITI SINGH** to **ADITI,** it may entered accordingly in my Husband army service record. Vide affidavit No. BX 602310 & date 24.03.2026 before district court Gwalior (M.P.)

आम सूचना

मेरे पक्षकार वेद सेवा एवं शिक्षा समिति जर्ये अध्यक्ष एवं सचिव एवं लक्ष्य वेलफेयर ट्रस्ट जर्ये ट्रस्टीज के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति स्थित ग्राम वीरमपुरा, प.ह.न.114, तहसील मुरार, जिला ग्वालियर में है जो भूमि सर्वे क्र.497 एवं 514 ग्राम वीरमपुरा का भाग है। उक्त भूमि सर्वे क्र.514 राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पूर्व में श्री ओमप्रकाश गोस्वामी पुत्र श्री कल्याण सिंह एवं भूमि सर्वे क्र.497 राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पूर्व में श्री भोगीराम एवं श्री दौलतराम पुत्रगण श्री प्रेमा एवं अन्य के स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य की थी। भूमि सर्वे क्र.497 के संबंध में श्री भोगीराम, श्री दौलतराम एवं अन्य के द्वारा श्री रतिराम पुत्र श्री लालजीत के पक्ष में रजिस्टर्ड मुख्त्यारनामा विलेख क्र.523 दिनांक 26.06.2009 को सम्पादित किया गया। श्री भोगीराम, श्री दौलतराम एवं अन्य जर्ये मुख्त्यारआम श्री रतिराम के द्वारा भूमि सर्वे क्र.497 रकवा 0.627 हैक्टेयर श्रीमती मुन्नी बाई पत्नी श्री रतीराम को रजि. विक्रय विलेख क्र.988 दिनांक 20.08.2010 से विक्रय किया गया। श्रीमती मुन्नी बाई द्वारा भूमि सर्वे क्र.497 रकवा 0.627 हैक्टेयर श्री चंदेश पवैया पुत्र श्री गोपाल सिंह को रजि. विक्रय विलेख क्र.2453 दिनांक 20.12.2010 से विक्रय किया गया। श्री चंदेश पवैया एवं अन्य के द्वारा भूमि सर्वे क्र.497 का भाग रकवा 0.3135 हैक्टेयर एवं अन्य भूमि रजि. विक्रय विलेख क्र.949 दि. 25.06.2011 एवं रजि. विक्रय विलेख क्र.1193 दि. 25.05.2011 से लक्ष्य वेलफेयर ट्रस्ट जर्ये ट्रस्टीज को विक्रय की गई। भूमि सर्वे क्र.514 के संबंध में श्री ओमप्रकाश गोस्वामी द्वारा श्री शिवकुमार गोस्वामी पुत्र श्री कल्याण सिंह के पक्ष में मुख्त्यारनामा विलेख दिनांक 11.03.2000 को सम्पादित किया गया। श्री ओमप्रकाश गोस्वामी जर्ये मुख्त्यारआम श्री शिवकुमार गोस्वामी द्वारा भूमि सर्वे क्र. 514 श्री जगमोहन, श्री बलराम सिंह, श्री अशोक कुमार पुत्रगण श्री छविराम एवं श्री रतिराम पुत्र श्री लालजीत जाटव को रजि. विक्रय विलेख क्र.1498 दिनांक 21.08.2000 से विक्रय किया गया था। श्री अशोक कुमार का स्वर्गवास हो जाने के उपरांत उनकी उत्तराधिकारी पत्नी श्रीमती मिथलेश, पुत्र श्री पंकज (नाबा.) एवं पुत्रियां पूजा (नाबा.) एवं मुस्कान (नाबा.) उनकी सम्पति के मालिक हुए। श्री जगमोहन, श्री बलराम सिंह एवं श्रीमती मिथलेश, श्री पंकज (नाबा.), पूजा (नाबा.) एवं मुस्कान (नाबा.) द्वारा भूमि सर्वे क्र.514 वेद सेवा एवं शिक्षा समिति जर्ये अध्यक्ष एवं सचिव को रजि. विक्रय विलेख क्र.1644 दि. 13.08.2009 से विक्रय किया गया था। मेरे पक्षकार से उक्त सम्पति की मुख्त्यारनामा विलेख दिनांक 11.03.2000 एवं 26.06.2009 की मूलप्रतियां गुम हो गई है जिसके संबंध में मेरे पक्षकार द्वारा दिनांक 20.12.2025 को पुलिस रिपोर्ट की जा चुकी है एवं उक्त गुम दस्तावेजों का मेरे पक्षकार द्वारा ना ता किसी प्रकार से दुरूपयोग किया गया है और ना ही अन्यत्र कहीं बन्धक रखा गया है। मेरे पक्षकार वेद सेवा एवं शिक्षा समिति जर्ये अध्यक्ष एवं सचिव एवं लक्ष्य वेलफेयर ट्रस्ट जर्ये ट्रस्टीज द्वारा विकास अनुमति अनुसार भूखण्डों को ऋण सुविधा के साथ विक्रय किये जाने हेतु यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा ग्वालियर के साथ टाई-अप किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम, बैंक अथवा निकाय को उक्त मुख्त्यारनामा विलेख दिनांक 11.03.2000 एवं 26.06.2009 की मूलप्रतियां की मूलप्रतियां प्राप्त हों तो वह मूल दस्तावेज प्रदान करें अथवा उसके सम्बन्ध में कोई हित रखते हों अथवा उक्त सम्पति को यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा ग्वालियर के साथ टाई-अप किये जाने अथवा उक्त सम्पति के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय अथवा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा ग्वालियर में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पति का विक्रय पत्र सम्पादित कर यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा ग्वालियर के समक्ष बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. -भवन क्र. 52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

7 बीघा बेशकीमती सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 01 अप्रैल। जिले में शासकीय जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिये चलाई जा रही विशेष मुहिम के तहत बुधवार को जिला प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला प्रशासन की टीम ने नगर निगम के मदाखलत दस्ते की मशीनों की मदद से लश्कर तहसील में स्थित पटवारी हलका कोटा लश्कर क्षेत्र में लगभग 7 बीघा बेशकीमती सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटवाया। अतिक्रमण मुक्त कराई गई जमीन की कीमत सरकारी गाइडलाइन के अनुसार लगभग 20 करोड़ रुपए आंकी गई है। कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर एसडीएम लश्कर नरेन्द्र बाबू यादव के नेतृत्व में गई संयुक्त टीम द्वारा यह कार्रवाई अंजाम दी गई। तहसीलदार महेश कुशवाह ने बताया कि पटवारी हलका कोटा लश्कर के अंतर्गत शासकीय भूमि के विभिन्न सर्वे क्रमांक की लगभग साढ़े 6 बीघा जमीन स्वास्थ्य विभाग को सरकारी अस्पताल बनाने के लिये आवंटित थी। इस जमीन पर स्थानीय निवासियों ने बेजा कब्जे कर लिए थे। इसी तरह तीन अन्य सर्वे क्रमांक के अंतर्गत नाले के किनारे स्थित लगभग 10 बिस्वा शासकीय जमीन पर भी अवैध अतिक्रमण कर लिया गया था। ये सभी अतिक्रमण बुधवार को मशीनों की मदद से ध्वस्त कराकर स्वास्थ्य विभाग को फिर से कब्जा दिला दिया गया है। अतिक्रमण हटाने के लिये गई संयुक्त टीम में एसडीएम नरेन्द्र बाबू यादव, तहसीलदार महेश सिंह कुशवाह, रत्नेश शर्मा व रमाशंकर सिंह सहित अन्य राजस्व अधिकारी और नगर निगम का मदाखलत दस्ता शामिल था।

अवैध कॉलोनियां काटने वाले 51 लोगों के खिलाफ एफआईआर

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 01 अप्रैल। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के न्यायालय ने जिले की नगर परिषदों व ग्रामीण क्षेत्रों में 51 अवैध कॉलोनी काटने की जुर्रत करने वालों के खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने के आदेश जारी किए हैं। संबंधित एसडीएम को इन सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिये आदेशित किया गया है। ज्ञात हो ग्रामीण क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार जिला कलेक्टर और नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम आयुक्त को अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने अवैध कॉलोनी काटने में लिप्त लोगों को कलेक्टर न्यायालय में सुनवाई का विधिवत व पूरा मौका दिया गया। इन सबके द्वारा कॉलोनी काटने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर यह सख्त कार्रवाई की गई है। संबंधित क्षेत्र के एसडीएम द्वारा इन कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई के लिये कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किए गए थे। विधिवत सुनवाई के बाद ग्रामीण क्षेत्र में अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-61 उपबंधों के तहत एफआईआर दर्ज करने के आदेश कलेक्टर न्यायालय द्वारा दिए गए हैं।

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 17 वार्ड क्रं. 39, भवन क्रं. .., स्थान: सात भाई की गोठ पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती उज्वला घाणेकर पत्नी श्री उदय घाणेकर पुत्री स्व. श्री विनायक गोविन्द गोरे के नाम से नगर निगम में आई. डी. क्रं. 9000219474 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 538 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्र. विक्रय पत्र के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र ढ़ोली बुआ का पुल क्षे.क्रं. 17 पर दिनांक 01.04.2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य. क्रं.71/2010/58752/58944/प्र.क्रं.*3/11 है उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियम अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
श्रीमती साधना अग्रवाल / श्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल
पता: सात भाई की गोठ, वार्ड-39
विज्ञप्ति जारी दिनांक: 01-04-2026

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 18 वार्ड क्रं. 49, भवन क्रं. .., स्थान: हारकोटा सीर पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती विनोद कुमार / श्री धनीराम के नाम से नगर निगम में आई. डी. क्रं. 9000212914 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 510 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्र. A1359554 दिनांक 15.04.2021 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र गोरखी पानी की टंकी क्षे.क्रं. 18 पर दिनांक 31.03.2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य. क्रं. 83/2010/18714/41013/प्र.क्रं.*3/11 है उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियम अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
मोहित जैन / श्री प्रमोद जैन
पता: हारकोटा सीर, वार्ड-05
विज्ञप्ति जारी दिनांक: 01-04-2026

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 24 वार्ड क्रं. 65, भवन क्रं. .., स्थान: अजयपुर पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती मुन्नी बाई / फूल सिंह के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 9000215848 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 615 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्रं. R-04072500954934 दिनांक 04.07.2025 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र अजयपुर क्षे.क्रं. 24 पर दिनांक 30.03.2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य क्रं. ....प्र.क्रं.*3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियम अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
नन्दा शाही / रवि शाही
पता: अजयपुर, वार्ड-65
विज्ञप्ति जारी दिनांक: 01-04-2026

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 24 वार्ड क्रं. 65, भवन क्रं. .., स्थान: अजयपुर पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती मंजू कुशवाह / बनवारी लाल कुशवाह के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 9000208552 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्रं. R-2402260032865 दिनांक 24.02.2026 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र अजयपुर क्षे.क्रं. 24 पर दिनांक 30.03.2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य क्रं. .... प्र.क्रं.*3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियम अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
प्रशांत गुप्ता / रामध्यान गुप्